# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस**

प्रकरण संख्या **09/2020** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2020/00009

1. भीमा पिता रता भील
2. पुष्पा पुत्री टेका भील
3. भूरकी पत्नी टेका भील निवासीः फांदा, पटवार हल्का तीतरड़ी, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

—— अपीलान्टगण

**बनाम**

नानीबाई पुत्री रता भील पत्नी स्व. गोपा, निवांसी फांदा, पटवार हल्का तीतरड़ी, हाल निवासीः धोल की पाटी, डाकन कोटडा तहसील गिर्वा, उदयपुर

—— प्रत्यर्थी

**अपील विरूद्ध निर्णय तहसलीदार गिर्वा**
**पत्रावली संख्या 09/2019 दिनांक 17.01.2020**

**उपस्थित :** श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता अपीलान्टगण

## निर्णय

दिनांकः– 23/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार गिर्वा पत्रावली संख्या 09/2019 दिनांक 17.01.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के संबंध में माननीय जिला कलक्टर उदयपुर ने एक प्रकरण संख्या 28/2019 पारित किया, जिसमें राजस्व ग्राम फांदा का नामांतरकरण संख्या 199 दिनांक 06.12.2004 निरस्त किया जाकर नवीन नामांतरकरण वारिसान की जांच करने का आदेश पारित करते हुए नामांतरकरण इन्द्राज किए जाने का आदेश पारित किया। उक्त अग्रेषण में माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 09/2019 दर्ज की जाकर पुनः पक्षकारानों को सुना गया और मृतक रता भील के उत्तराधिकारीगण के संबंध में नानी बाई पुत्री रता का 1/3 हिस्सा दर्ज करने का भी आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के सुस्थापित सिद्धांतों का पूर्णतया उल्लंघन होकर आलौच्य आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रत्यर्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की पूर्णतया जांच करने में अनदेखी की है कि मूल पुरूष रता के उत्तराधिकारी होने का जो अवलंब नानीबाई लिया है, वह उसने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत याचित किए है, जबकि इस संबंध में विधि स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति पर हिन्दु उत्तराधिकारी के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा इन समाजों मे पुत्री का नाम पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में लागू नहीं होता है। किन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की गई है, यहां तक कि जवाब में लिए गए अवलंबो का तहसीलदार ने अपने आदेश में कोई उल्लेख ही नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने बिना किसी विधि या पत्रावली में आए अवलंबों को अवलोकन किए बिना ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णयन जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, पर कोई मंतव्य प्रकट नहीं किया है कि किस प्रकार उक्त प्रकरण में दी गई न्यायिक व्यवस्था इस प्रकरण में लागू नहीं होती है अथवा किस प्रकार तहसीलदार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने हेतू बाध्य नहीं है इस प्रकार आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज या साक्षी जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह प्रकट करता है कि पुत्रियों के पक्ष में पैतृक संपत्ति का नामांतरकरण खोले जाने हेतू विपक्षीगण के समाज में रूढी प्रचलित हो, और ऐसी रूढी विपक्षीगण को इस प्रकार का नामांतरकरण खुलाने हेतू विधित अधिकारी प्रदान करती हो, क्योंकि जहां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, वहां ऐसी रूढी को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर न होकर अपीलार्थी का था, लेकिन ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली में ही आई है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र इतना कथन कर के अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली है कि प्रार्थिया मृतक रता की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है, इसलिए उसका हक बनता है जबकि ऐसा हक बनने की कहीं भी किसी भी न्यायालय से घोषणा नहीं करवाई गई है, क्योंकि 17 वर्ष तक शांत बैठे रहने के उपरांत इस प्रकार का नामांतरकरण आवेदन किया गया है। जबकि अधिकतम 12 वर्ष तक चुप बैठने पर यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीमती नानीबाई ने अपने अधिकारों का त्याग कर दिया है एवं बिना घोषणा के ऐसा नामांतरकरण नहीं खोला जा सकता था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करवाया जावे तथा उक्त वाद वर्णित भूमि का नामांकन अपीलार्थीगण के नाम यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करवाया जावें।

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 09/20 राजस्व
भीमा बनाम नानी
GCMS No. 2020/00009

उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में रेस्पोडेण्ट नानी बाई द्वारा इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 28/2019 दर्ज करा उपतहसीलदार बारापाल द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 199 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे स्वीकार किया जाकर अपीलीय नामान्तकरण संख्या 199 निर्णय दिनांक 03.12.2004 राजस्व ग्राम फांदा पटवार मण्डल तितरडी का निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को स्व. रता पिता देवा भील के वैध वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच कर, सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। रेस्पोडेण्ट रता की जायन्दा पुत्री होने से पैतृक सम्पत्ति से वंचित नही किया जा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न तो कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है और ना ही कोई न्यायिक दृष्टांत (Rulings) प्रस्तुत किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली तहसीलदार गिर्वा को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,
उदयपुर